



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092023-248805
CG-DL-E-18092023-248805

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3927]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 2023/भाद्र 27, 1945

No. 3927]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18, 2023/BHADRA 27, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2023

का.आ. 4092(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 और 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार का यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है अतः एटद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को फ्लक्स कॉर्ड शोल्डर वायर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने के बाद लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग - तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।
बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि सूक्ष्म उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अवधि के बाद लागू होगा।

बशर्ते कि लघु उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि के बाद लागू होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – ब्यूरो नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी – इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
फ्लक्स कॉर्ड शोल्डर वायर	1921:2005	फ्लक्स कॉर्ड शोल्डर वायर

नोट: इस तालिका के प्रयोजनार्थ भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/20/2023-एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 18th September, 2023

S.O. 4092(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) This order may be called the Flux Cored Solder Wire (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the expiry of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette:

2. Compulsory use of Standard Mark. - Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export.

Provided that in relation to micro enterprises, as defined in clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of twelve months from the date of publication of this notification.

Provided that in relation to small enterprises, as defined in clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of nine months from the date of publication of this notification.

3. Certification and enforcement authority. - The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (1) of the Table.

4. Penalty for contravention. - Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Flux Cored Solder Wire	1921:2005	Flux Cored Solder Wire

Note: For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P- 29026/20/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.